न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022
जीसीएमएस संख्या—2022/30

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 ओमप्रकाश पुत्र झुमरराम 2 चैनाराम पुत्र झुमरराम 2 सायरीदेवी पुत्री झुमरराम जातियान माली निवासीगण तहसील पीपाड़ शहर		1. अधिषाशी अधिकारी,नगरपालिका पीपाड शहर 2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक
18/02/2022

1. श्री निर्मल कटारिया प्रार्थीगण ओर से
2. श्री जेठाराम चौहान अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी 02

निर्णय

दिनांकः— 27/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1272/15 रकबा 0.5016 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड में खातेदारी के रुप में प्रार्थीगण के नाम जमाबंदी सवंत् 2075 से 2078 खाता संख्या नया 942 व पुराना 402 में दर्ज इन्द्राज हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिजकाश्त हैं तथा अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के दो तरफ अप्रार्थीगण की खसरा सं 1265 व खसरा सं 1318 की भूमियाँ राजस्व रेकर्ड में नगरपालिका स्थानीय निकाय की भूमियाँ गैर मुमकिन रास्ता के नाम से दर्ज इन्द्राज हैं। उक्त खसरा में मीरा पत्नी झूमरराम सहखातेदार हैं लेकिन मीरा पत्नी झूमरराम का देहान्त हो जाने से उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण ही हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियाँ एक दूसरे से चिपते हुए स्थित हैं तथा प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी तथा दक्षिणी तरफ गैर मुमकिन रास्ता की भूमि होने से अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थीगण के खेतो की माठ को लेकर यानि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1272/15 की माठों को लेकर अप्रार्थीगण से हर समय विवाद रहता हैं अप्रार्थीगण माठों की तरफ अपना हक व हिस्सा बताते हैं जिससे दोनो पक्षों के मध्य आपसी तनाव रहता हैं। यह हैं कि प्राथीगण ने अपने खसरा संख्या 1272/5 के सीमांकन हेतु भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर विवाद होने की आशंका जताई जिससे सीमाज्ञान नहीं किया जा सका जिससे स्पष्ट हैं कि अप्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नहीं करने देना चाहते हैं इसलिए प्रार्थीगण के पास न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। यह हैं कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 1272/15 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त हैं ताकि प्रार्थीगण को पता चल सके कि उनके खेत की सीमा कहाँ तक हैं तथा प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 1272/15 के चारो तरफ चार दीवारी करवाना चाहते हैं जिससे कि खेत की सुरक्षा रहे लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान नहीं करने देते इसलिए प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी एवं सीमांकन के लिये प्रस्तुत यह हैं कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1272/15 की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं हैं तथा प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु आवश्यक दस्तावेज मोमीट्रेस नक्शाए प्रमाणित जमाबंदी मय नक्शा व उचित राजस्व शुल्क अदा करने हेतु तैयार हैं। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1272/15 रकबा 0.5016 हैक्टेयर की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जेठाराम चौहान ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1272/15 को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थथी संख्या एक के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ न ही कभी तनाव वगैराह रहा है तमाम तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1272/15 पर सीमाज्ञान करवावे लेकिन खसरा नम्बर 1265 व खसरा नम्बर 1318 की जो गै.मु रास्ते की जमीन है अप्रार्थी संख्या एक के राजस्व रेकर्ड में है उस पर भी प्रार्थीगण ने रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करके पत्थरगदी व सीमाज्ञान की आड में अपने कब्जे लेना चाहते हैं जो गैर कानूनी है मात्र हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नक्श ट्रेस जो कम्प्यूटर से निकाल कर प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से मुहर लगाकर पेश की है जिससे प्रार्थीगण के उक्त खसरान की व सीमा की सही जानकारी नहीं हो रही है जो प्रार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट के समय निर्धारित मोमीट्रेस नक्शा व जमाबन्दी लाकर उक्त प्रकरण की पत्रावली में पेश करे व रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जावे । प्रार्थीगण ने बढ़ा चढ़ा कर उक्त रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करके असद्‌भाविक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1272/15 की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान रास्ते की जमीन खसरा नम्बर 1265 व खसरा नम्बर 1318 जो राजस्व रेकर्ड में नगरपालिका की जमीन है व गै.मु. रास्ता है उसके अतिक्रमण को छोडे बिना पत्थरगढी व मुटाम कायम नहीं किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक का जवाब स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट के साथ खारिज फरमायें क्यों कि प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 1272/15 रकबा 0.5016 हैक्टेयर की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने की आड में अप्रार्थी संख्या एक की खसरा नम्बर 1265 व खसरा नम्बर 1318 की भूमियां जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज है जिसकी किस्म गै०मु० रास्ता इन्द्राज है जिस पर दोनो तरफ से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रभाव से खारिज किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1272/15 रकबा 0.5016 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2464 रकबा 0.5002 हैक्टेयर कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगडी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1272/15 कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 1272/15 रकबा 0.5016 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा संख्या 2464 रकबा 0.5002 हैक्टेयर है कृषि भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर